



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03082021-228688
CG-DL-E-03082021-228688

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग 2 — अनुभाग 1क

PART II — Section 1A

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 1] नई दिल्ली, गुरुवार, 25 फरवरी, 2021/6 फाल्गुन, 1942 (शक) [खंड LVII
No. 1] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 25, 2021/PHALGUNA 6, 1942 (SAKA) [VOL. LVII

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 2021/6 फाल्गुन, 1942 (शक)

दि कंपनी (अमेंडमेंट) ऐक्ट 2019; (2) दि ट्रांसजेंडर पर्सन्स (प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स) ऐक्ट, 2019; (3) दि चिट फंड्स (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2019; (4) दि प्रोहिबिशन आफ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स (प्रोडक्शन, मेनुफेक्चर, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज एंड एडवर्टाइजमेंट) ऐक्ट, 2019 (5) दि रिसाइकलिंग आफ शिप ऐक्ट, 2019; (6) दि इन्सोल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2020; (7) दि मिनीरल लॉज (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2020; (8) दि डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास ऐक्ट, 2020; (9) दि फारमर्स (इम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन) एग्रीमेंट आन प्राइस एसुरेन्स एंड फार्म सर्विसेस ऐक्ट, 2020; (10) दि फारमर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कामर्स (प्रोमोशन एंड फौसीलिटेशन) ऐक्ट, 2020; (11) दि एसेन्सियल कोमोडिटीज (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2020; (12) दि बाईलेटरल नेटिंग ऑफ क्वालिफाइड फाइनेंसियल कान्ट्रैक्ट्स ऐक्ट, 2020; और (13) दि फारेन कन्ट्रीब्यूशन (रेगुलेशन) अमेंडमेंट ऐक्ट, 2020 के निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद राष्ट्रपति के प्राधिकार से प्रकाशित किए जाते हैं और ये राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन उनके हिन्दी में प्राधिकृत पाठ समझे जाएंगे:—

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (Legislative Department)

New Delhi, February 25, 2021/Phalguna 6, 1942 (Saka)

The translation in Hindi of the following, namely:—The Company (Amendment) Act, 2019; (2) The Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019; (3) The Chit Funds (Amendment) Act, 2019; (4) The Prohibition of Electronic Cigarettes (Production, Manufacture, Import, Export, Transport, Sale, Distribution, Storage and Advertisement) Act, 2019; (5) The Recycling of Ship Act, 2019; (6) The Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Act, 2020; (7) The Mineral Laws (Amendment) Act, 2020; (8) The Direct Tax Vivad se Vishwas Act, 2020; (9) The Farmers (Empowerment and Protection) Agreement on Price Assurance And Farm Services Act, 2020; (10) The Farmers Produce Trade And Commerce (Promotion And Facilitation) Act, 2020; (11) The Essential Commodities (Amendment) Act, 2020; (12) The Bilateral Netting of Qualified Financial Contracts Act, 2020 and (13) The Foreign Contribution (Regulation) Amendment Act, 2020 are hereby published under the authority of the President and shall be deemed to be the authoritative texts thereof in Hindi under clause (a) of sub-section (1) of section 5 of the Official Languages Act, 1963 (19 of 1963):—

	पृष्ठ
कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2019 (2019 का अधिनियम संख्यांक 22)	3
The Company (Amendment) Act, 2019	
उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 (2019 का अधिनियम संख्यांक 40)	15
The Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019	
चिट फंड (संशोधन) अधिनियम, 2019 (2019 का अधिनियम संख्यांक 41)	23
The Chit Funds (Amendment) Act, 2019	
इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट (उत्पादन विनिर्माण आयात निर्यात, परिवहन, विक्रय वितरण भंडारण और विज्ञापन प्रतिषेध अधिनियम, 2019 (2019 का अधिनियम संख्यांक 42)	27
The Prohibition of Electronic, Cigarettes (Production, Manufacture, Import, Export, Transport Sale, Distribution, Storage and Advertisement) Act, 2019	
पोत पुनर्चक्रण अधिनियम, 2019 (2019 का अधिनियम संख्यांक 49)	33
The Recycling of Ships Act, 2019	
दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2020 (2020 का अधिनियम संख्यांक 1)	49
The Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Act, 2020	
खनिज विधि (संशोधन) अधिनियम, 2020 (2020 का अधिनियम संख्यांक 2)	55
The Mineral Laws (Amendment) Act, 2020	
प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020 (2020 का अधिनियम संख्यांक 3)	61
The Direct Tax Vivad Se Vishwas Act, 2020	
कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम, 2020 (2020 का अधिनियम संख्यांक 20)	69
The Farmers (Empowerment and Protection) Agreement on Price Assurance and Farm Services Act, 2020	
कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) अधिनियम, 2020 (2020 का अधिनियम संख्यांक 21)	77
The Farmers Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Act, 2020	
आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020 (2020 का अधिनियम संख्यांक 22)	85
The Essential Commodities (Amendment) Act, 2020	
अर्हित वित्तीय संविदा द्विपक्षीय नेटिंग अधिनियम, 2020 (2020 का अधिनियम संख्यांक 30)	87
The Bilateral Netting of Qualified Financial Contracts Act, 2020	
विदेशी अभिदाय (विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2020 (2020 का अधिनियम संख्यांक 33)	97
The Foreign Contribution (Regulation) Amendment Act, 2020	

कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम, 2020

(2020 का अधिनियम संख्यांक 20)

[24 सितम्बर, 2020]

ऐसे कृषि करारों पर जो निष्पक्ष और पारदर्शी रीति में पारस्परिक रूप से तय पाई गई लाभकारी कीमत रूपरेखा पर कृषि सेवाओं और भावी कृषि उत्पादों के विक्रय के लिए कृषि कारबार फर्मों, प्रसंस्करणकर्ताओं, थोक विक्रेताओं, निर्यातकों या बड़ी संख्या में फुटकर विक्रेताओं के साथ कृषकों का संरक्षण करते हैं और उनको सशक्त करते हैं, राष्ट्रीय रूपरेखा का तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम, 2020 है। संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

(2) यह 5 जून, 2020 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “एपीएमसी यार्ड” से किसी भी राज्य अधिनियम के अधीन कृषि उत्पाद में बाजारों और व्यापार को विनियमित करने के लिए स्थापित किए गए कृषि उत्पाद विपणन समिति यार्ड को समाविष्ट करने वाले कोई भी भौतिक परिसर, चाहे जिस भी नाम से ज्ञात हो, अभिप्रेत है;

(ख) “कंपनी” से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (20) में यथा परिभाषित कंपनी अभिप्रेत है; 2013 का 18

(ग) “इलेक्ट्रॉनिक व्यापार और संव्यवहार प्लेटफॉर्म” से इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों और इंटरनेट अनुप्रयोग के नेटवर्क के माध्यम से कृषि उत्पाद के व्यापार और वाणिज्य के संचालन के लिए प्रत्यक्ष और ऑनलाइन क्रय और विक्रय को सुकर बनाने के लिए स्थापित प्लेटफॉर्म अभिप्रेत है;

(घ) “कृषि सेवाओं” के अंतर्गत बीज, दाना, चारा, कृषि-रसायन, मशीनरी और प्रौद्योगिकी, सलाह, गैर-रसायन कृषि इनपुट और कृषि के लिए ऐसे अन्य इनपुट भी हैं;

(ङ) “कृषक” से स्वयं या भाड़े के श्रमिक द्वारा या अन्यथा कृषि उत्पाद के उत्पादन में लगा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत कृषि उत्पादक संगठन भी हैं;

(च) “कृषक उत्पादक संगठन” से कृषकों का ऐसा संगम या समूह चाहे जिस भी नाम से ज्ञात हो, अभिप्रेत है, जो—

(i) तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत है; या

(ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित किसी स्कीम या कार्यक्रम के अधीन संवर्धित है;

(छ) “कृषि करार” से ऐसा लिखित करार अभिप्रेत है जो किसी पूर्व अवधारित क्वालिटी के किसी भी कृषि उत्पाद के उत्पादन या उसे उगाने से पहले किसी कृषक और किसी प्रायोजक के बीच, या किसी कृषक, किसी प्रायोजक और किसी तीसरे पक्षकार के बीच किया गया है, जिसमें प्रायोजक, कृषक से ऐसे कृषि उत्पाद का क्रय करने के लिए तथा कृषि सेवाएं प्रदान करने के लिए करार करता है।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, “कृषि करार” पद के अंतर्गत निम्नलिखित हो सकेंगे—

(i) “व्यापार और वाणिज्य करार” जहां वस्तु का स्वामित्व उत्पादन के दौरान कृषक के पास रहता है और वा प्रायोजक के साथ करार पाए गए निबंधनों अनुसार उत्पाद के परिदान पर उसकी कीमत प्राप्त करता है;

(ii) “उत्पादन करार” जहां प्रायोजक पूर्णतः या भागतः कृषि सेवाएं प्रदान करने के लिए तथा आउटपुट का जोखिम वहन करने के लिए करार करता है किंतु ऐसे कृषक द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए कृषक को संदाय करने के लिए करार करता है; और

(iii) ऐसे अन्य करार या उपरोक्त विनिर्दिष्ट करारों का समुच्चय;

(ज) “कृषि उत्पाद” के अंतर्गत निम्नलिखित आते हैं—

(i) खाद्य पदार्थ, जिसके अंतर्गत खाद्य तिलहन और तेल, सभी प्रकार के अनाज जैसे गेहूं, चावल या अन्य मोटे अनाज, दालें, सब्जियां, फल, गिरी, मसाले, गन्ना और कुक्कुट पालन, सुअर पालन, बकरी पालन, मछली उद्योग और दुग्ध उद्योग के ऐसे उत्पाद आते हैं, जो अपने प्राकृतिक या प्रसंस्कृत रूप में मानव उपभोग के लिए आशयित हैं;

(ii) पशु चारा, जिसके अंतर्गत खली और अन्य सांद्र भी हैं;

(iii) कच्ची कपास, चाहे ओटी हुई हो या बिना ओटी हुई हो;

(iv) बिनौला, और कच्चा पटसन;

1932 का 9

(झ) “फर्म” से भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 की धारा 4 में यथा परिभाषित फर्म अभिप्रेत हैं;

(अ) “अनिवार्य बाध्यता” से कोई अकल्पित बाह्य घटना अभिप्रेत है जिसके अंतर्गत बाढ़, सूखा, खराब मौसम, भूकंप, रोग की महामारी का प्रकोप, कीट-नाशक जीवमार और ऐसी अन्य घटनाएं जो अपरिहार्य हैं तथा कृषि करार करने वाले पक्षकारों के नियंत्रण से परे हैं;

(ट) “अधिसूचना” से राजपत्र में, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है और “अधिसूचित” पद का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा;

(ठ) “व्यक्ति”, के अंतर्गत निम्नलिखित आते हैं:—

(i) कोई व्यक्ति;

(ii) कोई भागीदारी फर्म;

(iii) कोई कंपनी;

(iv) कोई सीमित दायित्व भागीदारी;

(v) कोई सहकारी सोसाइटी;

(vi) कोई सोसाइटी; या

(vii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी चालू कार्यक्रम के अधीन समूह के रूप में सम्यक, रूप से निगमित या मान्यताप्राप्त कोई संगम या व्यक्तियों का निकाय;

(ड) “विहित” से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ढ) “रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी” से ऐसा प्राधिकारी अभिप्रेत है जो धारा 12 के अधीन राज्य सरकार द्वारा इस रूप में अधिसूचित हो;

(ण) “प्रायोजक” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने किसी कृषि उत्पाद का क्रय करने के लिए कृषक के साथ कृषि करार किया है;

(त) “राज्य” के अंतर्गत संघ राज्यक्षेत्र भी है।

अध्याय 2

कृषि करार

3. (1) कोई कृषक किसी भी कृषि उत्पाद के संबंध में लिखित कृषि करार कर सकेगा और ऐसे करार में निम्नलिखित के लिए उपबंध हो सकेगा—

कृषि करार और इसकी अवधि।

(क) ऐसे उत्पाद की पूर्ति के लिए निबंधन और शर्तें, जिसके अंतर्गत पूर्ति का समय, क्वालिटी, श्रेणी, मानक, कीमत और ऐसे अन्य मामले भी हैं; और

(ख) कृषि सेवाओं की पूर्ति से संबंधित निबंधन:

परंतु ऐसी कृषि सेवाएं प्रदान करने के लिए किसी भी विधिक उपेक्षा के अनुपालन के लिए उत्तरदायित्व, यथास्थिति, प्रायोजक या कृषि सेवा प्रदाता का होगा।

(2) इस धारा के अधीन किसी कृषक द्वारा कोई भी कृषि करार किसी बटाईदार के किसी भी अधिकार के अल्पीकरण में नहीं किया जाएगा।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए “बटाईदार” पद से किसी कृषि भूमि को जोतने वाला या उसका अधिभोगी अभिप्रेत है जो कृषि उत्पाद उपजाने या उगाने के लिए भू-स्वामी को फसल का नियत हिस्सा देने या नियत रकम का संदाय करने के लिए औपचारिक या अनौपचारिक रूप से सहमत होता है।

(3) कृषि करार की न्यूनतम अवधि, यथास्थिति, एक फसल अवधि या एक पशुधन जनन चक्र के लिए होगी और अधिकतम अवधि पांच वर्ष होगी:

परंतु जहां किसी कृषि उत्पाद का उत्पादन चक्र और अधिक है और पांच वर्ष से अधिक हो सकता है ऐसी दशा में कृषि करार की अधिकतम अवधि कृषक और प्रायोजक द्वारा पारस्परिक रूप से विनिश्चित की जा सकेगी और कृषि करार में स्पष्ट रूप से उल्लिखित की जा सकेगी।

(4) कृषकों को लिखित कृषि करार करने के लिए सुकर बनाने के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार ऐसी रीति में, जो ठीक समझे, आदर्श कृषि करारों सहित आवश्यक मार्गदर्शक सिद्धांत जारी कर सकेगी।

कृषि उत्पाद की क्वालिटी, श्रेणी और मानक।

4. (1) कृषि करार करने वाले पक्षकार ऐसे करार की अनुपालना के पालन के लिए शर्त के रूप में कृषि उत्पाद के पारस्परिक रूप से स्वीकार्य क्वालिटी, श्रेणी और मानक अभिनिश्चित कर सकेगी और उनकी अपेक्षा कर सकेगी।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए पक्षकार ऐसी क्वालिटी, श्रेणी और मानक अंगीकृत कर सकेगी—

(क) जो कृषि विज्ञान पद्धतियों, कृषि जलवायु और ऐसे अन्य कारकों के अनुरूप हैं; या

(ख) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकरण द्वारा या इस प्रयोजन के लिए ऐसी सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकरण द्वारा बनाए गए हों,

और ऐसी क्वालिटी, श्रेणी और मानक का कृषि करार में स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हों।

(3) नाशक जीवमार अवशिष्ट, खाद्य सुरक्षा मानक, अच्छी कृषि पद्धति और श्रमिक तथा सामाजिक विकास मानकों के लिए क्वालिटी, श्रेणी और मानक कृषि करार में भी अंगीकृत किए जा सकेंगे।

(4) कृषि करार करने वाले पक्षकार शर्त के रूप में यह अपेक्षा कर सकेंगे कि ऐसे पारस्परिक रूप से स्वीकार्य क्वालिटी, श्रेणी और मानकों को, खेती करने या उगाने की प्रक्रिया के दौरान अथवा परिदान के समय बिना पक्षपात के और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए तृतीय पक्षकार अर्हित निर्धारकों द्वारा मॉनीटर और प्रमाणित किया जाएगा।

कृषि उत्पाद का कीमत निर्धारण।

5. किसी कृषि उत्पाद के क्रय के लिए संदत्त की जाने वाली कीमत कृषि करार में ही अवधारित और उल्लिखित की जा सकेगी और ऐसी दशा में जब ऐसी कीमत फेरफार के अध्यक्षीन है तब ऐसे करार में निम्नलिखित के लिए स्पष्ट रूप से उपबंध किया जाएगा—

(क) ऐसे उत्पाद के लिए संदत्त की जाने वाली प्रत्याभूत कीमत;

(ख) कृषक को सर्वोत्तम मूल्य सुनिश्चित करने के लिए प्रत्याभूत कीमत के अलावा किसी अतिरिक्त रकम के लिए कोई स्पष्ट कीमत निर्देश, जिसके अंतर्गत बोनस या प्रीमियम भी है और ऐसे कीमत निर्देश को विनिर्दिष्ट एपीएमसी याई या इलैक्ट्रॉनिक व्यापार और संव्यवहार प्लेटफार्म या किसी अन्य उपयुक्त बैचमार्क कीमतों में विद्यमान कीमतों से जोड़ा जा सके:

परंतु ऐसी कीमत या प्रत्याभूत कीमत या अतिरिक्त रकम की पद्धति को कृषि करार के साथ उपाबद्ध किया जाएगा।

कृषि उत्पाद का विक्रय या क्रय।

6. (1) जहां, किसी कृषि करार के अधीन, किसी कृषि उत्पाद का परिदान—

(क) कृषक स्थल के द्वार पर प्रायोजक द्वारा लिया जाना है, वहां वह ऐसा परिदान करार पाए गए समय की भीतर लेगा;

(ख) कृषक द्वारा किया जाना है, वहां यह सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व प्रायोजक का होगा कि ऐसे परिदान को समय पर स्वीकार करने के लिए सभी तैयारियां कर ली गई हैं।

(2) प्रायोजक, किसी भी कृषि उत्पाद के परिदान को स्वीकार करने से पहले कृषि करार में यथा विनिर्दिष्ट ऐसे उत्पाद की क्वालिटी या किसी अन्य विशेषता का निरीक्षण कर सकेगा, अन्यथा उसके द्वारा उत्पाद का निरीक्षण किया गया समझा जाएगा और उसे ऐसे उत्पाद के परिदान के समय या उसके पश्चात् उसे स्वीकार करने से मुकरने का अधिकार नहीं होगा।

(3) प्रायोजक,—

(क) जहां कृषि करार बीज उत्पादन से संबंधित है, वहां तय पाई गई रकम की कम से कम दो-तिहाई रकम का संदाय परिदान के समय करेगा और शेष रकम का संदाय सम्यक् प्रमाणीकरण के पश्चात् किंतु परिदान के तीस दिन के अपश्चात् करेगा;

(ख) अन्य मामलों में तय पाई गई रकम का संदाय कृषि उत्पाद के परिदान को स्वीकार करते समय करेगा और विक्रय उत्पादों के ब्यौरे सहित रसीद जारी करेगा।

(4) राज्य सरकार, ऐसा ढंग और रीति विहित कर सकेगी जिसमें उपधारा (3) के अधीन कृषक को संदाय किया जाएगा।

7. (1) जहां इस अधिनियम के अधीन किसी कृषि उत्पाद के संबंध में कोई कृषि करार किया गया है, वहां ऐसा उत्पाद, ऐसे कृषि उत्पाद के विक्रय और क्रय के विनियमन के प्रयोजन के लिए स्थापित किसी भी राज्य अधिनियम के, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, लागू होने से छूट-प्राप्त होगा।

कृषि उत्पाद के संबंध में छूट।

1955 का 10

(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में या उसके अधीन जारी किए गए किसी नियंत्रण आदेश में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, स्टॉक सीमा से संबंधित कोई बाध्यता कृषि उत्पाद की ऐसी मात्रा को लागू नहीं होगी जो इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार किए गए कृषि करार के अधीन क्रय की जाती है।

8. निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए कोई कृषि करार नहीं किया जाएगा—

(क) कृषक की भूमि या परिसर का कोई अंतरण जिसके अंतर्गत विक्रय, पट्टा और बंधक भी हैं; या

(ख) कृषक की भूमि या परिसर पर कोई भी स्थायी ढांचा खड़ा करना या कोई परिवर्तन करना जब तक प्रयोजक, यथास्थिति, करार की समाप्ति पर या करार अवधि के अवसान पर अपनी लागत पर ऐसे ढांचे को हटाने या भूमि को उसकी मूल स्थिति में प्रत्यावर्तित करने के लिए सहमत न हो;

परंतु जहां ऐसा ढांचा प्रयोजक द्वारा सहमत रूप में नहीं हटाया जाता है वहां ऐसे ढांचे का स्वामित्व, यथास्थिति, करार की समाप्ति के पश्चात् या करार अवधि के अवसान पर कृषक में निहित हो जाएगा।

कृषक भूमि या परिसर के स्वामित्व अधिकार अर्जित करने या उसमें स्थायी रूप से कोई परिवर्तन करने से प्रायोजक का प्रतिषिद्ध होना।

9. किसी कृषि करार को, कृषक या प्रयोजक या दोनों की जोखिम को कम करने और प्रत्यय के प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या किसी वित्तीय सेवा प्रदाता की किसी स्कीम के अधीन बीमा या प्रत्यय लिखत के साथ जोड़ा जा सकेगा।

कृषि करार का बीमा या प्रत्यय से जोड़ा जाना।

10. इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, कोई संकलक या कृषि सेवा प्रदाता कृषि करार का पक्षकार बन सकेगा और ऐसे मामलों में ऐसे संकलक या कृषि सेवा प्रदाता की भूमिका और सेवाओं का उल्लेख ऐसे कृषि करार में स्पष्ट रूप से किया जाएगा।

कृषि करार के अन्य पक्षकार।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(i) “संकलक” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके अंतर्गत कृषक उत्पादक संगठन भी है, जो किसी कृषक या कृषकों के किसी समूह और किसी प्रयोजक के बीच मध्यवर्ती के रूप में कार्य करता है और कृषक तथा प्रयोजक दोनों को संकलन से संबंधित सेवाएं प्रदान करता है;

(ii) “कृषि सेवा प्रदाता” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो कृषि सेवाएं प्रदान करता है।

11. किसी कृषि करार को करने के पश्चात् किसी भी समय, ऐसे करार के पक्षकार, पारस्परिक सहमति से, किसी भी युक्तियुक्त हेतुक के लिए ऐसे करार में परिवर्तन या उसका समापन कर सकेंगे।

कृषि करार का परिवर्तन या समापन।

12. (1) कोई राज्य सरकार, उस राज्य के लिए इलैक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री उपलब्ध कराने के लिए किसी रजिस्ट्रीकृत प्राधिकारी को अधिसूचित कर सकेगी, जो कृषि करारों के, रजिस्ट्रीकरण के लिए सुकर ढांचा उपलब्ध कराता हो।

रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण प्राधिकारी की स्थापना।

(2) रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी का गठन, संरचना, शक्तियां और कृत्य तथा रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया ऐसी होगी जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए।

अध्याय 3

विवाद का समझौता

विवाद के समझौते के लिए सुलह बोर्ड।

13. (1) प्रत्येक कृषि करार में, करार के पक्षकारों के प्रतिनिधियों से मिलकर बने किसी सुलह बोर्ड की सुलह प्रक्रिया और उसका बनाया जाना स्पष्ट रूप से उपबंधित होगा:

परंतु ऐसे सुलह बोर्ड में पक्षकारों का प्रतिनिधित्व उचित और संतुलित होगा।

(2) किसी भी कृषि करार से उत्पन्न होने वाले किसी विवाद को पहले कृषि करार के उपबंधों के अनुसार बनाए गए सुलह बोर्ड को निर्दिष्ट किया जाएगा और ऐसे बोर्ड द्वारा ऐसे विवाद के समझौते के लिए प्रत्येक प्रयास किया जाएगा।

(3) जहां किसी भी विवाद के संबंध में, सुलह कार्यवाही के दौरान समझौता हो जाता है, वहां तदनुसार समझौता ज्ञापन तैयार किया जाएगा और उस पर ऐसे विवाद के पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे तथा ऐसा समझौता पक्षकारों पर आबद्धकर होगा।

विवाद समाधान के लिए तंत्र।

14. (1) जहां कृषि करार में धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन यथा अपेक्षित सुलह प्रक्रिया का उपबंध नहीं है या कृषि करार के पक्षकार उस धारा के अधीन तीस दिन की अवधि के भीतर अपने विवाद का समझौता करने में असफल हो जाते हैं, वहां ऐसा कोई पक्षकार संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट के पास जा सकता है जो कृषि करारों के अधीन विवादों का विनिश्चय करने के लिए उपखंड प्राधिकारी होगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी विवाद की प्राप्ति पर उपखंड प्राधिकारी,—

(क) यदि कृषि करार में सुलह प्रक्रिया के लिए उपबंध नहीं था, तो ऐसे विवाद का समझौता करने के लिए सुलह बोर्ड का गठन कर सकेगा; या

(ख) यदि पक्षकार, सुलह प्रक्रिया के माध्यम से अपने विवाद का समझौता करने में असफल हो जाते हैं तो पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् ऐसे विवाद की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर संक्षिप्त रीति में विवाद का विनिश्चय कर सकेगा और विवाद के अधीन रकम की, ऐसी शास्ति और ब्याज सहित, जो वह उचित समझे, निम्नलिखित शर्तों के अध्वधीन वसूली के लिए आदेश पारित कर सकेगा अर्थात्:—

(i) जहां प्रयोजक कृषक को देय रकम का संदाय करने में असफल होता है वहां ऐसी शास्ति देय रकम से डेढ़ गुणा तक हो सकेगी;

(ii) जहां आदेश कृषि करार के निबंधनानुसार किसी अग्रिम संदाय या इनपुट लागत के कारण प्रयोजक को देय रकम की रकम की वसूली के लिए कृषक के विरुद्ध किया जाता है तो ऐसी रकम प्रयोजक द्वारा उपगत वास्तविक लागत से अधिक नहीं होगी;

(iii) जहां विवादित कृषि करार, अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में हैं या कृषक द्वारा व्यतिक्रम अनिवार्य बाध्यता के कारण है तो कृषक के विरुद्ध रकम की वसूली के लिए कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा।

(3) इस धारा के अधीन उपखंड प्राधिकारी द्वारा पारित प्रत्येक आदेश का वही बल होगा, जो सिविल न्यायालय की किसी डिक्री का होता है और वह उसी रूप में प्रवर्तनीय होगा, जैसे सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन कोई डिक्री होती है जब तक की उपधारा (4) के अधीन कोई अपील न कर दी गई हो।

1908 का 5

(4) उपखंड प्राधिकारी के आदेश द्वारा व्यथित कोई भी पक्षकार अपील प्राधिकारी को ऐसे आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर अपील कर सकेगा, जिसकी अध्यक्षता कलेक्टर द्वारा या कलेक्टर द्वारा नामनिर्देशित अपर कलेक्टर द्वारा की जाएगी।

(5) अपील प्राधिकारी अपील का निपटारा तीस दिन के भीतर करेगा।

1908 का 5

(6) इस धारा के अधीन अपील प्राधिकारी द्वारा पारित प्रत्येक आदेश का वही बल होगा जो सिविल न्यायालय की किसी डिक्री का होता है और उसी रीति में प्रवर्तनीय होगा जैसे वह सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी डिक्री की रीति में होता है।

(7) यथास्थिति, उपखंड प्राधिकारी या अपील प्राधिकारी द्वारा पारित किसी भी आदेश के अधीन संदेय रकम की वसूली भू-राजस्व के बकाया के रूप में की जा सकेगी।

(8) उपखंड प्राधिकारी या अपील प्राधिकारी के पास, इस धारा के अधीन विवाद को विनिश्चित करते समय, शपथ पर साक्ष्य लेने, साक्षियों को हाजिर कराने, दस्तावेजों और अन्य महत्वपूर्ण चीजों को प्रकटीकरण और पेश किए जाने के लिए बाध्य करने के प्रयोजनों के लिए तथा ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं, सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी।

(9) उपखंड प्राधिकारी के समक्ष कोई याचिका या कोई आवेदन और अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील फाइल करने की रीति और प्रक्रिया वह होगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए।

15. धारा 14 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उस धारा के अधीन पारित किसी आदेश के अनुसरण में किसी शोध रकम की वसूली के लिए कोई कार्रवाई कृषक की कृषि भूमि के विरुद्ध आरंभ नहीं की जाएगी।

कृषक की भूमि के विरुद्ध शोध्यों की वसूली के लिए कोई कार्रवाई न होना।

अध्याय 4

प्रकीर्ण

16. केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के उपबंधों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों को समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगी, जो वह आवश्यक समझे, और राज्य सरकारें ऐसे निदेशों का अनुपालन करेंगी।

केन्द्रीय सरकार की निदेश देने की शक्ति।

17. सभी प्राधिकारी जिनके अंतर्गत इस अधिनियम के अधीन गठित या विहित रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी, उपबंध प्राधिकारी और अपील प्राधिकारी भी हैं, भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थातर्गत लोक सेवक समझे जाएंगे।

अधिनियम के अधीन प्राधिकारियों का लोक सेवक होना।

18. इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए किसी नियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी, उपखंड प्राधिकारी, अपील प्राधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद-अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण।

19. किसी सिविल न्यायालय को, किसी ऐसे विवाद के संबंध में, जिसका विनिश्चय करने के लिए उपखंड प्राधिकारी या अपील प्राधिकारी इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन सशक्त है, कोई भी वाद या कार्यवाहियां ग्रहण करने की अधिकारिता नहीं होगी और इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा या उनके अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के अनुसरण में की गई या की जाने वाली किसी कार्रवाई के संबंध में किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी द्वारा कोई व्यादेश मंजूर नहीं किया जाएगा।

सिविल न्यायालय की अधिकारिता का वर्जन।

20. इस अधिनियम के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में या इस अधिनियम से भिन्न किसी ऐसी विधि के आधार पर प्रभाव रखने वाली किसी लिखत में अंतर्विष्ट उससे किसी असंगत बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे:

अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना।

परंतु इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख से पहले तत्समय प्रवृत्त किसी राज्य विधि या तद्धीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन किया गया कोई कृषि करार या की गई ऐसी संविदा, ऐसे करार या संविदा की अवधि के विधिमान्य बनी रहेगी।

1956 का 42

21. इस अधिनियम की कोई बात प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 के अधीन मान्यताप्राप्त स्ट्याक एक्सचेंजों और समाशोधन निगमों को तथा उनमें किए गए संव्यवहारों को लागू नहीं होगी।

अधिनियम का स्ट्याक एक्सचेंजों और समाशोधन निगमों को लागू न होना।

केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति।

22. (1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया, तथा पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किए जा सकेंगे, अर्थात्:—

(क) अन्य प्रयोजन, जिनके लिए उपखंड प्राधिकारी या अपील प्राधिकारी के पास धारा 14 की उपधारा (8) के अधीन सिविल न्यायालय की शक्ति होगी;

(ख) धारा 14 की उपधारा (9) के अधीन उपखंड प्राधिकारी के समक्ष याचिका या आवेदन तथा अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील फाइल करने की रीति और प्रक्रिया;

(ग) कोई अन्य विषय, जिसे विहित किया जाना है या विहित किया जाए या जिसकी बाबत केन्द्रीय सरकार द्वारा नियमों द्वारा उपबंध किया जाना है।

(3) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, तीस दिन की कुल अवधि के लिए रखा जाएगा जो एक सत्र या दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी, और यदि उस सत्र या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के अवसान से पहले दोनों सदन नियम में कोई उपांतरण करने के लिए सहमत हो जाएं या दोनों सदन सहमत हो जाएं कि ऐसा नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् ऐसा नियम, यथास्थिति, ऐसे उपांतरित रूप में ही प्रभावी होगा या प्रभावी नहीं रहेगा; तथापि, ऐसे उपांतरण या रद्दकरण से उस नियम के अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति।

23. (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किए जा सकेंगे, अर्थात्:—

(क) धारा 6 की उपधारा (4) के अधीन कृषक को संदाय करने का ढंग और रीति;

(ख) धारा 12 की उपधारा (2) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी का गठन, संरचना, शक्तियां और कृत्य तथा रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया;

(ग) कोई अन्य विषय, जिसे विहित किया जाना है या विहित किया जाए या जिसकी बाबत राज्य सरकार द्वारा नियमों द्वारा उपबंध किया जाना है।

(3) इस अधिनियम के अधीन, राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र जहां राज्य विधान-मंडल के दो सदन हैं वहां प्रत्येक सदन के समक्ष या जहां ऐसे विधान-मंडल का एक सदन है वहां उस सदन के समक्ष रखा जाएगा।

कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति।

24. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हो।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

निरसन और व्यावृत्तियां।

25. (1) कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अध्यादेश, 2020 का निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अध्यादेश, 2020 के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी।

2020 कर अध्यादेश सं० 11

2020 कर अध्यादेश सं० 11